

समाहरणालय, नवादा।

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

पत्रांक 167 / सचिका संख्या-

प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट माइनोटीरीज फाइनेन्स,
कारपोरेशन, लि० पटना।

नवादा, दिनांक 09.07.2022

विषय:- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदकों की सूची का प्रेषण।

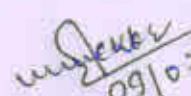
प्रसंग- मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1298 दिनांक 24.05.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 27.06.2022 से 30.06.2022 के उपरान्त जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 09.07.2022 को सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवाही की प्रति एवं अनुशंसित आवेदकों की चयन सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः कार्यवाही की प्रति एवं आवेदकों की अनुशंसित सूची भवदीय की सेवा में सादर समर्पित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

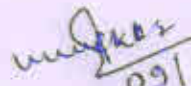
विश्वासभाजन,


09/07/2022

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक 167 दिनांक 09/07/22

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव -सह- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


09/07/22

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
नवादा।

श्री संतोष कुमार, निदेशक, जिला ग्रामिण विकास अभिकरण, नवादा -सह- अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, नवादा की अध्यक्षता में दिनांक 09-07-2022 को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के तहत लाभुकों के चयन हेतु जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति— यथापंजी।

2. राज्य सम्मोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि० पटना के विज्ञापन ज्ञापांक 342 दिनांक 31.01.2022 के द्वारा दिनांक 07.02.2022 से 31.03.2022 तक आवेदन प्राप्ति की तिथि विभाग से निर्धारित थी। अंतिम तिथि तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, नवादा को कुल :- 205 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्य सचिव, के पत्रांक 1298 दिनांक 24.05.2022 के अनुसार पंचायतवार एवं प्रखण्डवार जाँच दल का गठन कर आवेदकों की स्थल जाँच दिनांक 15.06.2022 तक एवं साक्षात्कार दिनांक 30.06.2022 तक कराने का निर्देश प्राप्त था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, नवादा में दिनांक 27.06.2022 से 30.06.2022 तक कागजातों का सत्यापन/ साक्षात्कार किया गया।
3. प्राप्त कुल :- 205 आवेदनों के विरुद्ध 181 आवेदकों ने अपने कागजातों का सत्यापन कराया। सत्यापन के क्रम में कुल :- 24 आवेदक अनुपस्थित रहे।
4. वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु नवादा जिला को मुख्य सचिव बिहार सरकार के पत्रांक 1298 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा मो० 2,77,55,020.00 (मो० दो करोड़ सत्तहतर लाख पच्चपन हजार बीस रुपये) मात्र का वित्तीय लक्ष्य ऋण वितरण हेतु निर्धारित किया गया है एवं प्रखण्डवार ऋण वितरण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभागीय पत्रांक 1602 दिनांक 04.09.2020 एवं विभागीय ज्ञापांक 1461 दिनांक 30.07.2021 के आलोक में उपलब्ध राशि को प्रखण्डवार क्रमशः 70:30 के अनुपात में बृहद एवं लघु ऋण हेतु विभाजित कर आवेदकों का चयन किया जाना है। उक्त निदेश के आलोक में कुल राशि के अनुरूप योग्य 181 आवेदकों पर जिला चयन समिति द्वारा विचार किया गया।

31.07.2022

5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय द्वारा आवेदकों को आपति दर्ज करने हेतु दिनांक 04.07.2022 से 06.07.2022 तक तिथि निर्धारित की गई थी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय नवादा के पत्रांक 165 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा सभी सूची कार्यालय के सूचना पट पर विज्ञापित की गई। सभी आवेदकों को यह भी सूचित किया गया कि यदि साक्षात्कार के समय कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके तो वे निर्धारित आपति तिथि के दौरान दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इस क्रम में जो भी आपति दर्ज की गई उसका यथोचित निराकरण कर अंतिम मेधा सूची तैयार किया गया है।

6. प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम पटना के पत्रांक 513 दिनांक 12.03.21 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आवेदक द्वारा अंकित ट्रेड वृहद में है परन्तु सरकारी Guarantor नहीं मिलने पर मांगी गई राशि मो0 1,00,000/- एक लाख रुपये रहने की स्थिति में Trade वृहद के अन्तर्गत मानते हुए अनुशंसा की राशि मो0 1,00,000/- रुपये ही होगी तथा साक्षात्कार में दो आवेदक का एक समान अंक होने की स्थिति में मेधा सूची के वरीयता निर्धारित करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति स्वयं सक्षम हैं।

विभागीय पत्र के अनुपालन में वृहद ट्रेड के बावजूद सरकारी Guarantor नहीं मिलने पर मो0 1,00,000/- रुपये की अनुशंसा की गई है एवं एक समान अंक की स्थिति में अधिक उम्र (Seniority) को प्राथमिकता दी गई है।

7. जिला चयन समिति के निर्णय के आलोक में प्रत्येक प्रखण्डों के ऋण राशि उपलब्धता के अनुरूप समान Trade रहने की स्थिति में ऋण वितरण राशि में एकरूपता अपनाते हुए अनुशंसा की गई है।

8. विभागीय पत्रांक 1518 दिनांक 10.06.2022 के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु प्राप्त संशोधित मूल्यांकन पत्रक के आधार पर अंक देते हुए आवेदकों की वरीयता सूची तैयार की गयी है।

31.08.21 31.08.21



9. सम्यक विचारोपरांत प्रखण्डवार लघु एवं बृहद प्रक्षेत्र के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए निम्न प्रकार चयन किया जाता है।
(परिशिष्ट-I)

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	बृहदप्रक्षेत्र		लघुप्रक्षेत्र		कुल	
		लामुक	राशि	लामुक	राशि	लामुक	राशि
1.	नवादा	25	4800000	21	2065000	46	6865000
2.	अकबरपुर	10	2025000	12	890000	22	2915000
3.	कौआकोल	07	1535000	03	440000	10	1875000
4.	गोविन्दपुर	04	805000	04	345000	08	1150000
5.	रोह	03	750000	04	450000	07	1200000
6.	पकरीबरावाँ	03	600000	02	300000	05	900000
7.	हिसुआ	01	250000	04	320000	05	570000
8.	रजौली	01	250000	01	100000	02	350000
9.	वारिसलीगंज	00	0	02	500000	02	500000
10.	नरहट	01	200000	01	100000	02	300000
कुल :-		55	11215000	54	5510000	109	16725000

10. मुख्य सचिव बिहार सरकार के पत्रांक 1298 दिनांक 24.05.2022 के आलोक में कर्णांकित राशि का 20% अधिक चयन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए 20% अतिरिक्त राशि के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची में परिशिष्ट-II निम्न प्रकार आवेदक का चयन किया जाता है।
(परिशिष्ट-II)

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	बृहदप्रक्षेत्र		लघुप्रक्षेत्र		कुल	
		लामुक	राशि	लामुक	राशि	लामुक	राशि
1.	नवादा	05	1000000	05	500000	10	1500000
2.	अकबरपुर	02	405000	02	150000	04	555000
3.	गोविन्दपुर	01	200000	00	0	01	200000
कुल :-		08	1605000	07	650000	15	2255000

11. कतिपय प्रखण्डों में निर्धारित लक्षित राशि के विरुद्ध कुछ राशि अवशेष है। जिला चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में अवशेष राशि को बचे हुए चयनित आवेदकों को ऋण वितरण हेतु विभाग से मार्गदर्शन की मांग की जाए।
12. चयनित आवेदकों की सूची परिशिष्ट-I (मूल सूची) में, 20% अतिरिक्त राशि के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची, परिशिष्ट-II में तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना को भेजने का निर्णय, जिला चयनसमिति द्वारा लिया गया।

31.05.2022

1. चयनित आवेदकों में यदि किसी आवेदक द्वारा गलत तथ्य दिया गया हो अथवा अहर्ता पूर्ण नहीं करने से संबंधित कोई तथ्य छिपाया गया होगा अथवा चयनित आवेदक सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवा में होगा तो इस बात का पता चलते ही उस आवेदक का चयन स्वतः रद्द माना जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सभी संबंधितों को भेजने का निर्देश के साथ बैठक समाप्त की गई।

आबदा आजमी
सदस्य
श्रीमती आबदा आजमी,
मुखिया, ग्राम पंचायत, भदौनी,
नवादा।
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नवादा।

सदस्य
श्री नेजाम खाँ
सामाजिक कार्यकर्ता,
बड़ी दरगाह, नवादा।
सदस्य सचिव -सह-
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
नवादा।

प्रमण्डलीय प्रभारी,
बिहार राज्य अ०वि०नि०,
पटना।
अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति
-सह-
निदेशक, जिला ग्रामीण विकास
अभिकरण, नवादा।

ज्ञापांक 166 जि0अ0क0

दिनांक 09/07/2022

प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव -सह- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

आबदा आजमी
सदस्य
श्रीमती आबदा आजमी,
मुखिया, ग्राम पंचायत, भदौनी,
नवादा।
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नवादा।

सदस्य
श्री नेजाम खाँ,
सामाजिक कार्यकर्ता,
बड़ी दरगाह, नवादा।
सदस्य सचिव -सह-
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
नवादा।

प्रमण्डलीय प्रभारी,
बिहार राज्य अ०वि०नि०,
पटना।
अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति
-सह-
निदेशक, जिला ग्रामीण विकास
अभिकरण, नवादा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए चयनित एवं अनुशसित सूचि

[illegible]

412/2/52-1

[illegible]

31A41371v2h

on Khan

22



—

10

1

1

9

[illegible]

7

[illegible][illegible]